



2026:AHC:126148

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 794 सन् 2026

श्रीमती केश लता (बंदी) तथा एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमर सिंह यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

श्री प्रदीप कुमार शर्मा, अधिवक्ता ने आज न्यायालय में प्रत्यर्थी सं. 4, 5 एवं 6 की ओर से अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री अमर सिंह यादव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं. 4 से 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार शर्मा को सुना गया।

यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका श्रीमती केश लता द्वारा याचिकाकर्ता सं. 2, कुमार पाल के माध्यम से इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत की गई है कि याचिकाकर्ता सं. 1 प्रत्यर्थी सं. 4 से 6 की अवैध निरुद्धि में है तथा यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थीगण को यह निर्देशित किया जाए कि वे बंदी को याचिकाकर्ता सं. 2 के पक्ष में सुपुर्द करें।

याचिकाकर्ता सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि दोनों याचिकाकर्तागण वयस्क हैं तथा उनके मध्य प्रगाढ़ संबंध विकसित हो गए थे, तथा दिनांक 01.04.2025 को उन्होंने आर्य समाज ट्रस्ट, संजय नगर, बरेली से एक-दूसरे के साथ विवाह संपन्न किया था। यह अभिकथित है कि विवाह के पश्चात्, दोनों याचिकाकर्तागण पति-पत्नी के रूप में रहते थे, किंतु दिनांक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20.05.2026 को, प्रत्यर्थी सं. 4 से 6, याचिकाकर्ता सं. 1 को, उनके घर पर आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के प्रयोजन हेतु ले गए। दिनांक 24.05.2026 को, याचिकाकर्ता सं. 2 को यह ज्ञात हुआ कि प्रत्यर्थी सं. 4 से 6 के घर पर ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहा था, तथा जब याचिकाकर्ता सं. 2 ने प्रत्यर्थी सं. 4 से 6 से याचिकाकर्ता सं. 1 को उसके साथ भेजने का अनुरोध किया, तो उन्होंने इंकार कर दिया तथा उसे जान से मारने की धमकी दी। अतः, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 से 6 ने याचिकाकर्ता सं. 1 को उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना अवैध रूप से निरुद्ध कर रखा है।

प्रत्यर्थी सं. 4 से 6 के विद्वान अधिवक्ता ने विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि याचिकाकर्तागण के मध्य ऐसा कोई विवाह संपन्न नहीं हुआ है तथा याचिकाकर्ता सं. 1 वयस्क है, जो अपनी स्वेच्छा एवं इच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है।

बंदी, केश लता, याचिकाकर्ता सं. 1, न्यायालय में उपस्थित है। यह न्यायालय अब विवादक से संबंधित उसका कथन अभिलिखित करने हेतु आगे बढ़ता है।

प्रश्न- आपका नाम?

उत्तर- केश लता।

प्रश्न- आपकी उम्र क्या है?

उत्तर- 21 साल।

प्रश्न- आप पढ़ी लिखी हैं?

उत्तर- हाँ, बी.एससी फाइनल हो गया है।

प्रश्न- आप कहाँ से आई हैं?

उत्तर- अपने माता पिता के पास से।

प्रश्न- आप कुमार पाल को जानती हैं?

उत्तर- नहीं।

प्रश्न- आपकी कुमार पाल से शादी हुई है?

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उत्तर- नहीं।

प्रश्न- आप कहाँ रहना चाहती हैं?

उत्तर- माता पिता के साथ।

प्रश्न- ऐसा तो नहीं है कि आपकी शादी कुमार पाल से 01.04.2025 को हुई हो?

उत्तर- नहीं।

याचिकाकर्ता सं. 1 के उपरोक्त कथन के दृष्टिगत, वह वयस्क है तथा उसने इस बात से इंकार किया है कि उसने याचिकाकर्ता सं. 2, कुमार पाल से विवाह किया है। उसने यह भी कथन किया है कि वह याचिकाकर्ता सं. 2 को नहीं जानती। यह कथित है कि वह अपने मायके से आई है तथा उनके साथ रहना चाहती है।

याचिकाकर्ता सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता सं. 1 प्रत्यर्थी सं. 4 से 6 के प्रभाव में है तथा उसने सही तथ्य नहीं बताए हैं।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन में मुझे कोई सार प्रतीत नहीं होता, क्योंकि याचिकाकर्ता सं. 1 के आचरण से यह प्रदर्शित नहीं होता कि वह अपने माता-पिता के किसी अनुचित प्रभाव में है तथा उसने न्यायालय में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह याचिकाकर्ता सं. 2 को नहीं जानती तथा उसने याचिकाकर्ता सं. 2 से विवाह संपन्न किए जाने से इंकार किया है। चूंकि याचिकाकर्ता सं. 1 वयस्क है तथा वह अपनी स्वेच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी भी प्रकार की अवैध निरुद्धि में है, तथा याचिकाकर्ता सं. 1 के कथन के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता सं. 2 के पास उसकी अभिरक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार प्रतीत नहीं होता।

उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका में कोई बल नहीं है तदनुसार, यह खारिज की जाती है।

जून 8, 2026

सुभम

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।